कार्यालय कलेक्टर,जिला शहरी विकास अभिकरण,कोरबा(छ0ग0)

क्रमांक / 142 / श0वि0अ0 / 2015 कोरबा, दिनांक 26 / 02 / 2015

/ / विज्ञापन / /

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / 3530 / 3407 / 18 / 2014 दिनांक 06.06.2014 अनुसार प्रदत्त स्वीकृति एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / 09 / सूडा / एनयूएलएम / 2014 / 833 रायपुर दिनांक 30.06.2014 से प्राप्त आदेशानुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहर स्तरीय मिशन कार्यालय,कोरबा हेतु कलेक्टर दर पर / संविदा में सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 15 / 03 / 2015 तक कम्प्यूटर आपरेटर(संविदा) 01 पद एवं भृत्य 01 पद (कलेक्टर दर) पर कार्य करने हेतु संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण,कोरबा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, प्रथम तल के पते पर संपूर्ण विवरण सहित रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क.	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	योग्यता
1	कम्प्यूटर आपरेटर	01	कलेक्टर दर पर	हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण तथा छ0ग0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सेकम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा
2	भृत्य	01	संविदा दर पर	पांचवी उत्तीर्ण

नियम एवं शर्ते :–

1. कम्प्यूटर आपरेटर पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 75 प्रतिशत एवं कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में 25 प्रतिशत अंक रखते हुए कुल 100 अंकों के आधार पर मेरिट क्रम अनुसार चयन की जावेगी
2. चतुर्थ श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जावेगा ।
3. आयु न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष। समान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छुट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छुट की पात्रता होगी।
4. उपरोक्त पद में प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार प्रत्येक संवर्ग के महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांग के लिए समस्तर पर आरक्षण रहेगा।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी से सत्यापित निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।
8. आवेदन पत्र पर 5/– टिकट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें आवेदन का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
9. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर जांच कर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्रमशः........

10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों का अपना आवेदन उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. अपूर्ण /अस्पष्ट एवं त्रूटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
12. लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावें, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
13. पूर्णरूप से भरे गये आवेदन कार्यालयीन अवधि में कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन,कोरबा प्रथम तल के पते में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

सिटी परियोजना अधिकारी,
जिला शहरी विकास अभिकरण
कोरबा(छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

1.आवेदक का नाम :-------------------------------------
2.पिता/पति का नाम :-------------------------------------
3.जन्म तिथि :-------------------------------------
4.वर्ग : ---
5.शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	वर्ष	निर्धारित अंक	प्राप्त अंक	प्राप्त अंको का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

6.अनुभव :
7.स्थायी पता :
7.पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता :---
8.रोजगार कार्यालय का नाम :...
जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक ....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है । जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में संपूर्ण जिम्मदारी मेरे स्वयं की होगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर